झारखडं के लिए पी एम कुसुम योजना कॉम्पोनेन्ट बी का दिशा निर्देश

पीएम कुसुम योजना कॉम्पोनेन्ट बी के अंतर्गत झारखण्ड में लाभ लगभग 5 हजार किसानों का स्टैंड अलोन सोलर पंप सेट अधिष्ठापित जा चुके हैं। योजना को केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जो किसान आवेदन करना चाहते हैं वे इसके लिए आवेदन जिला के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप ज्रेडा पोर्टल अथवा जिला उपयुक्त कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। आवेदन करने के लिए आपको एच पी क्षमता के अनुसार पांच हज़ार, सात हज़ार, दस हज़ार डी डी के माध्यम से जिला उपयुक्त कार्यालय अथवा जिला उपयुक्त द्वारा नामित पदाधिकारी के विभाग में आवेदन एवंम जरुरी कागजात क साथ जमा कर सकते हैं। योजना को वित्तीय सहायता तीन भागों में विभाजित किया गया है जिसमें सरकार द्वारा किसानों की सहायता की जाएगी। झारखण्ड सरकार द्वारा का कुल 66-67 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी इसके साथ ही 30 % आपको केंद्र द्वारा उपलब्ध किया जायेगा। योजना के लिए कुल 3 से 4 प्रतिशत आवेदक को स्वयं ही देना होगा। PM KUSUM YOJANA देश के सभी राज्यों में लागू की जा रही है।

योजना के लिए दस्तावेज

- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- भूमि लगान रसीद
- जिस खेत में सोलर पैनल लगाए जायेंगे उस खेत के कागजात
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बोरवेल/ वेल के साथ लाभुक का फोटो।
- स्वयं के जमीन का आधिकारिक नोटरी प्रमाण पत्र ।

कुसुम योजना के लाभ

- इस योजना का लाभ लगभग 5 हजार किसानों का स्टैंड अलोन सोलर पंप सेट अधिष्ठापित जा चुके हैं। और देश के 20 लाख किसानों को मिलेगा। योजना को केंद्र सरकार द्वारा चलाया जायेगा।
- अब किसान सोलर पैनल के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अब किसी भी बिजली या डीजल की आवश्यकता नहीं होगी।

- सिंचाई के लिए डीजल का प्रयोग ना होने से किसानों को डीजल की खपत के पैसे बचेंगे। जिससे की वे अपने लिए अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
- कुसुम योजना राज्य के उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा जो सूखाग्रस्त इलाके से हैं और उनके क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता नहीं है। इस योजना से आपको पानी और बिजली सुविधा आसानी से प्राप्त हो सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत किसानों को सिर्फ 3 से 4 प्रतिशत लागत अपनी तरफ से देना होगा बाकी की 66 से 67 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है। 30 प्रतिशत केंद्र सरकार दे रही है। देगी

योजना की विशेषताएं एवं शर्तें :-

- सोलर पम्प का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा। इसको आप किसी को बेच नहीं सकते या उसमें किसी अन्य का हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।
- सोलर पम्प लगाने के स्थान बिजली की व्यवस्था पूर्व नई उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।
- वैसे स्थान पर सोलर पम्प लगाया जायेगा जहाँ बिजली की व्यवस्था पूर्व से न हो।
- यदि किसान के पास सिंचाई के लिए पहले से ही कोई स्थायी स्रोत है तो सोलर पम्प का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना होगा।
- योग्यता पात्रता के अनुसार विभाग द्वारा सर्वे के आधार पर एंड सहमति प्रदान करने के बाद ही आप आप सोलर वाटर पम्प यंत्र लगा सकते हैं।
- आपको आवेदन के समय ही राशि का भुगतान करना होगा।
- जब आपको सौर यंत्र की आवश्यकता होगी तभी आप इसका उपयोग करेंगे। और इन यंत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसान की होगी। इसमें सरकार द्वारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी।
- यदि एक बार ऊर्जा यंत्र लगा दिए जाएंगे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित नहीं कर सकते।
- सोलर प्लेट लगाने के लिए धूप वाला स्थान उपलब्ध कराने की सारी जिम्मेदारी आवेदक किसान की होगी।
- सोलर प्लेट लगाने के बाद यदि उम्मीदवार किसान अपना मोबाइल नंबर बदलना है तो उन्हें इसकी जानकारी ज्रेडा में देना आवश्यक होगा और अपना नया मोबाइल नंबर कार्यालय में दर्ज कराना होगा।
- पैनल के साफ़-सफाई की जिम्मेदारी उम्मीदवार की ही होगी।
- सोलर पंप ज्रेडा के माध्यम से लगने पर सब्सिडी मिलेगी।

- किसी भी प्रकार की टूट-फूट/चोरी या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तीन दिवस में पुलिस में एफ.आई.आर. करें एवं स्थापनाकर्ता इकाई एवं जिला कार्यालय को भी तत्काल सूचित करें। ताकि स्थापनाकर्ता इकाई Insurance Claim हेतु कार्यवाही कर सकें। Insurance Company द्वारा मान्य होने पर ही टूट-फूट / चोरी या क्षतिग्रस्त हेतु सुधार कार्य मान्य होगा।

झारखंड में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत झारखण्ड के जो किसान आवेदन करना चाहते हैं वे इसके लिए आवेदन जिला के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप ज्रेडा पोर्टल से प्राप्त आवेदन करने के लिए आपको एच पी क्षमता के अनुसार पांच हज़ार, सात हज़ार, दस हज़ार डी डी के माध्यम से जिला कार्यालय अथवा जिला पदाधिकारी से नामित विभाग में आवेदन एवंम जरुरी कागजात क साथ जमा कर सकते हैं।

पी एम कुसुम योजना झारखडं के लिए जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

कुसुम योजना झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

कुसुम योजना झारखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट- **www.jreda.com** है।

सरकार द्वारा योजना में किसानों को कितनी सहायता दी जाएगी ?

इस योजना में झारखण्ड सरकार द्वारा किसानों को 66 से 67 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी 3 से 4 प्रतिशत उम्मीदवार किसानों को देना होगा। और 30 प्रतिशत की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत किसान यदि आवेदन के समय शुल्क जमा नहीं करते हैं तो क्या उन्हें योजना का लाभ दिया जायेगा ?

जी नहीं आपको योजना का लाभ लेने के लिए पहले शुल्क जमा करना जरूरी होगा। नहीं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

- कुसुम योजना का लाभ कौन-कौन ले सकते हैं ?

  योजना का लाभ राज्य के सभी किसान ले सकते हैं|

- क्या योजना में ऑफलाइन मोड़ में आवेदन किया जा सकता है ?

  जी हाँ आप ऑफलाइन मोड़ में आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने राज्य के जिले विभाग में जाना होगा|

- आवेदन शुल्क जमा करने पर विभाग द्वारा ऊर्जा यंत्र कब स्थापित किये जायेंगे ?

  शुल्क जमा करने के 120 दिन बाद उम्मीदवार के खेतों में सोलर वाटर पम्प ऊर्जा यंत्र लगाए जायेंगे|

- क्या योजना का लाभ सिर्फ किसान ले सकते हैं ?

  जी हां कुसुम योजना का लाभ किसानों को ही प्राप्त हो सकता है|

- कुसुम योजना ऊर्जा विभाग से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

  यदि आपको योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या है तो आप निचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं|

JHARKHAND RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY

Address - 3rd Floor, SLDC Building, Kusai, Doranda, Ranchi-834002. Jharkhand.
Phone No. +91-0651-2491161
Email : info@jreda.com